न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/23/2022	2022/38	03.02.2022	06.06.2022

—उनवान—

1. विशाल राजोरिया पुत्र ओमप्रकाश राजोरिया जाति सुनार निवासी 267, आर्य नगर, स्कीम नम्बर 01, अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार अलवर।
2. विक्रम सिंह पुत्र रामसिंह जाति सोमवंशी
3. गौरव पुत्र स्व0 चन्दन सिंह
4. रेखा पत्नी स्व0 चन्दन सिंह
5. लक्ष्य पुत्र चन्दन सिंह जाति लोहिया, निवासीयान मनुमार्ग पुलिस चौकी के सामने, मन्नी का बड़, अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01.श्री निरंजन लाल चौधरी —वकील प्रार्थी
02. श्री शैलेन्द्र भार्गव —वकील अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान विक्रम सिह वगै0 बनाम ओमप्रकाश राजोरिया वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद विक्रम सिह वगै0 बनाम ओमप्रकाश राजोरिया वगै0 विचाराधीन है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी आराजी को जबरन हडपने व प्रार्थी को परेशान करने की नियत से यह प्रा0पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर चारदीवारी का निर्माण कराया जिसमें रिहायश हेतु गेस्ट हाउस व कुछ कमरे निर्मित करवाये गये थे जो आदिनांक तक भी निर्मित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.12.2021 को पत्थरगढी प्रा0पत्र पेश किया गया था। जिसमें उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 5 से साजबाज होकर प्रकरण शीघ्र निस्तारण हेतु तारीख पेशीयां लगायी जा रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी बाबत अपील माननीय राज0 मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 13.09.2021 को अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी पत्रावली पर विचारण कर निस्तारण नहीं किया जा सकता। उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थीगण से साजबाज है। जिससे प्रार्थीगण ने दिनांक 19.01.2022 को नकल हेतु प्रा0पत्र पेश किया। बार बार चक्कर लगाने के बाद दिनांक 31.01.2022 को नकल जारी की गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली में रूचि रखते हुए पत्रावली को निवास स्थान तक ले कर चले जाते थे। अप्रार्थी सं0 2 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गहरी वार्तालाप करते हुए देखा है। अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थीगण को उक्त पत्रावली पर अपने मन मुताबिक आदेश लाने हेतु धमकी भी दी गयी।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 ने अपने जवाब व बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण ने आराजी को जबरन हडपने व परेशान करने की नियत से प्रा0पत्र पेश किया है जो गलत तौर पर पेश है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी में पत्थरगढ़ी व सीताज्ञान करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा यदि कोई अवैध या अनियमित निर्माण कराया है तो उस निर्माण से उसे कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से कोई साजबाज नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रा0पत्र में पेश तथ्य मनगढंत व झूठे, बेबुनियाद है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश तथ्य मनगढंत व बेबुनियाद है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु पेशीयां लगायी जा रही है। प्रार्थी विक्रम सिंह वगै0 ने बाद पैमाईश पत्थरगढ़ी हेतु प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आरटीएक्ट के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उप0 होकर जवाब पेश किया। उनके चाहे अनुसार तारीख पेशी दी गयी। दिनांक 01.02.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश करने पर नियत है। पत्रावली पर अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। नकल समय पर दी जाती है। न्यायालय में समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो अनुसार ही की जाती है। प्रार्थी मुंतकिल प्रा0पत्र पेश कर अनावश्यक दबाव बनाने की चेष्टा करते है। पीठासीन अधिकारी का किसी भी प्रकरण में कोई भी पक्षकार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। फिर भी उक्त प्ररकण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 ने बाद पैमाईश पत्थरगढ़ी हेतु प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आरटीएक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी ने न्यायालय में उप0 होकर जवाब पेश किया। फिर भी प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। न्यायहित में प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी अलवर में विचाराधीन विक्रम सिह वगै0 बनाम ओमप्रकाश राजोरिया वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी अलवर एवं उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर